इसके लिए सहायता ... अन्य कार्य स्थितियाँ

मुझे टैक्स फ़ाइल नम्बर चाहिए

- **ऑस्ट्रेलिया के टैक्स कार्यालय [The Australian Taxation Office** (ATO)] की वेबसाईट पर जानकारी दी गई है कि आप उसके लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं।

मैं NSW सरकार (ट्रैफ़िक फ़ाईन) का उधार न दे पाने के कारण परेशान हूँ

- **Revenue NSW** का कार्यालय इसके विकल्पों के बारे में आपसे बात कर सकता है, जिसमें कार्य व विकास आदेश (Work and Development Order) शामिल हो सकता है। इसमें आपके फ़ाइन को किसा मान्य संगठन में वेतन के बिना काम करने से या कुछ कोर्स करने या इलाज करवाने से पूरा किया जा सकता है।

इसके लिए सहायता ... आपकी बात-चीत करने की ज़रूरतें

मुझे दुभाषिए की आवश्यकता है

- **अनुवाद व दुभाषिया सेवा [Translating and Interpreting Service** (TIS National)] उन लोगों की मदद करती है जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं और इसकी अधिकाँश सेवाएँ निःशुल्क होती हैं।

मुझे सुनने व बोलने में कठिनाई होती है और मुझे मदद चाहिए

- **राष्ट्रीय रीले सेवा** फ़ोन सेवा प्रदान करती है और कई प्रकार के उपकरणों के द्वारा फ़ोन किया जा सकता है, जैसे कि कमप्यूटर, टैबलेट, मोबाईल फ़ोन, आम फ़ोन या TTY (टेलीटाईपराईटर)।

इसके लिए सहायता... आपका मानसिक स्वास्थ्य

मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता है

- **Youth Beyond Blue** 12-25 वर्ष की आयु के लोगों को मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, व आत्महत्या के बारे में जानकारी दे सकती है।
  W: www.youthbeyondblue.com फ़ोन: 1300 22 4635
- **Lifeline** उन लोगों को जो निजी संकट का अनुभव कर रहे हैं, उनको 24 घन्टे की सहायता व आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ देते हैं।
  W: www.lifeline.org.au फ़ोन: 13 11 14
- **Headspace** केन्द्र – जी पी, मनोवैज्ञनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शराब व ड्रग कार्यकर्ता, काउन्सलर या युवकों के लिए कार्यकर्ता देने में मदद करता है।
  W: www.headspace.org.au
- **eheadspace** सप्ताह के सातों दिन सुबह 9.00 से रात के 1.00 बजे के बीच गोपनीय सहायता प्रदान करता है। W: www.eheadspace.org.au
- **Reachout** युवकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए तथ्य-पत्र, फ़ोरम व अन्य साधन प्रदान करते हैं। W: www.reachout.com.au
- **Mental Health Line** आपका मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी से फ़ोन द्वारा संपर्क करवा सकते हैं । फ़ोन: 1800 011 511
- **Kids Help Line** 5 – 25 वर्ष के लोगों के लिए फ़ोन द्वारा निजी व गोपनीय सलाह प्रदान करते हैं। फ़ोन: 1800 551 800
- **Suicide Call Back Service** दिन के 24 घन्टे, फ़ोन व वीडियो व ऑनलाईन काउन्सलिंग प्रदान करती है। फ़ोन: 1300 659 467

यदि आप आपातस्थिति में फँस गए हैं और आपको तुरन्त सहायता चाहिए तो 000 को फ़ोन करें

संपर्क

SafeWork NSW
W: www.safework.nsw.gov.au
P: 13 10 50
E: contact@safework.nsw.gov.au

icare
W: eml.com.au/make-a-claim
P: 13 77 22
E: newclaims@eml.com.au

SIRA
W: www.sira.nsw.gov.au
P: 13 10 50
E: contact@sira.nsw.gov.au

Fair Work Commission
W: www.fwc.gov.au
P: 1300 799 675 (कार्यकारी समय के बाद में आपात स्थिति 0419 318 011)
E: sydney@fwc.gov.au

Fair Work Ombudsman
W: www.fairwork.gov.au
P: 13 13 94

Lawstuff
W: www.lawstuff.org.au
P: 9385 9588
E: admin@ncylc.org.au

Human Rights Commission
W: www.humanrights.gov.au
P: 1300 656 419
E: complaintsinfo@humanrights.gov.au

Office of eSafety Commissioner
W: www.esafety.gov.au
P: 1800 880 176

NSW Police
P: 131 444 (आम प्रश्न)

NSW Ombudsman
W: www.ombo.nsw.gov.au
P: 1800 451 524
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au

Anti-Discrimination Board
W: www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
P: 1800 670 812
E: complaintsadb@justice.nsw.gov.au

Australian Taxation Office
W: www.ato.gov.au

Revenue NSW
W: www.revenue.nsw.gov.au
('working order' ढूँढें)

Translation Information Service
W: www.tisnational.gov.au
P: 131 450 (24 घंटे की सेवा)

National Relay Service
(24 घंटे की सेवा)
इन्टरनेट /कैप्शन के साथ रिले फ़ोन: www.internet-relay.nrscall.gov.au
TTY/आवाज़ फ़ोन: 133 677
बोलना व सुनना: 555 727
SMS रिले: 0423 677 767

SW08977 0818

NSW GOVERNMENT

Hindi

काम पर सहायता प्राप्त करना

SAFEWORK NSW

यदि आपको काम पर कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आपको कई प्रकार की सहायता व जानकारी मिल सकती है।

जो सहायता आपको चाहिए उसे पाने के लिए यह मार्गदर्शिका पहला कदम है।

इसके लिए सहायता ... कार्यस्थल पर आपका स्वास्थ्य व सुरक्षा

मुझे लगता है कि काम पर मुझे चोट लग सकती है (जैसे कि वहाँ मेरी स्थितियाँ सुरक्षित नहीं हैं या मुझे सही तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है)

- **SafeWork NSW** आपको काम पर आपके सुरक्षा अधिकारों संबंधी जानकारी दे सकती है और यदि आपको व अन्य लोगों को कुछ ख़तरनाक लगता है तो मदद भी दे सकती है।

मुझे काम पर चोट लगी है या मैं काम पर बीमार हुआ हूँ

- अपने नियोक्ता को बताएँ।
- यदि आपको काम पर चोट लगी है तो डॉक्टरी सहायता मिलने या वेतन वापस पाने के लिए क्लेम करने में **icare** आपकी सहायता कर सकती है।
- राज्य बीमा नियामक अधिकरण [**State Insurance Regulatory Authority** (SIRA)] आपको यह बताने में मदद कर सकता है कि आपके नियोक्ता का बीमाकर्ता कौन है और किसी झगड़े को दर्ज करने में भी (जैसे कि किसी बीमाकर्ता या चिकित्सा प्रदानकर्ता से असहमति होना)।

मुझे लगता है कि कार्यस्थल पर मुझे डराया-धमकाया जा रहा है (इसमें इन्टरनेट पर डराया-धमकाया जाना या तस्वीर के साथ दुर्व्यवहार शामिल है)

- **SafeWork NSW** आपको यह जानने में सहायता कर सकता है कि क्या आपको डराया-धमकाया जा रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता है ।
- फैयर वर्क कमीशन, डराने-धमकाने को बन्द करने का आदेश (आवेदन के लिए फ़ीस लगेगी) दे सकती है या मध्यस्तता कर सकती है।
- **eSafety** कमीशनर का कार्यालय आपको इन्टरनेट पर डराया-धमकाया जाने या तस्वीर पर अधारित दुर्व्यवहार किए जाने पर आपकी मदद कर सकता है।
- **NSW पुलिस** किसी ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ आपराधिक जुर्म का आरोप लगा सकती है जिसने आपकी निजी फ़ोटो या वीडियो दूसरों को दिखाई है।

मुझे लगता है कि कार्स्थल पर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है

- **ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार कमीशन** भेदभाव या डराने-धमकाने की शिकायतों का समाधान करने में सहायता कर सकता है, जैसे कि राजनीतिक विचार या धर्म संबंधी।
- आयु, लिंग, जाति या लैंगिकता से संबंधित किए जाने वाली भेदभाव संबंधी शिकायतों में पक्षपात विरोधी बोर्ड सहायता कर सकता है।

मैंने काम पर हिंसा या हिंसा के ख़तरे का अनुभव किया है (उपभक्ताओं या लोगों से काम पर)

- यदि आप को ख़तरा महसूस होता है तो **NSW पुलिस** को 000 पर फ़ोन करें।
- आपको **SafeWork NSW** आपके काम पर सुरक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बता सकता है व यदि आप सोचते हैं कि कुछ आपके या अन्य लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है तो वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके लिए सहायता ... कार्यस्थल पर आपके अधिकार

कार्यस्थल पर चोट लगने के बाद मेरा नियुक्ता या सुपरवाईज़र मुझे काम पर वापस नहीं आने दे रहे हैं।

- **SafeWork NSW** आपके नियोक्ता से बात कर सकता है कि जब आप ठीक हो रहे हैं तो वह आपको उपयुक्त काम दें।

मेरे हिसाब से मुझे अनुचित रूप से या ज़बरदस्ती काम से निकाला गया है

- यदि आपको काम से निकाल दिया गया है तो **फ़ैयर वर्क कमीशन** आपकी मदद कर सकता है (निकाले जाने के 21 दिनों के अन्दर आपके लिए आवेदन-पत्र दर्ज कर देना ज़रूरी है)।

मेरे हिसाब से मुझे सही वेतन, सही छुट्टियाँ व वह अन्य शर्तें जिनका मुझे अधिकार है वह सब ठीक से नहीं दिया जा रहा है

- **फ़ैयर वर्क लोकपाल** आपको कार्यस्थल पर आपके अधिकारों व हकों के बारे में बता सकता है, जिसमें बिना वेतन के काम करना (जैसे कि – काम पर योग्यता जाँचनी), वेतन की पर्ची मिलनी व काम से संबंधित सामान खरीदना (जैसे कि – यूनिफ़ॉर्म)। अपनी वेतन व छुट्टियों के गणक का उपयोग करके बताना कि आपका हक क्या है।

मैं अपने क़ानूनी अधिकारों व ज़िम्मेदारियों के बारे में जानना चाहता हूँ

- **LawStuff** आपको आपके क़ानूनी अधिकारों व ज़िम्मेदारियों के बारे में सलाह व जानकारी दे सकते हैं।

NSW की सरकारी एजेन्सियों या सामुदायिक सेवा संगठनों (जैसे कि NSW पुलिस, TAFE NSW, NSW के सरकारी विश्वविद्यालयों, NSW की स्थानीय काऊन्सिलों, Rail Corp) ने मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे मैं बहुत नाख़ुश हूँ ।

- **यदि NSW की सरकारी एजेन्सियों** या सामुदायिक सेवा संगठनों ने जिस प्रकार आपके साथ व्यवहार किया है उससे आप नाख़ुश हैं तो NSW लोकपाल आपकी शिकायतों की समीक्षा कर सकता है।